कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ

पत्रांक प–8/सीएफओ/(एजूकेशनल भवन)/076 दिनांक 15/जनवरी /2022

सेवा में,

प्रबन्धक/स्वामी

अलेक्जेन्डर पब्लिक स्कूल

ग्राम बाजौट, (बिजली बम्बा बाईपास रोड,) निकट 44 पी0ए0सी0 मेरठ।

विषयः अलेक्जेन्डर पब्लिक स्कूल,बाजौट मेरठ में स्थापित अग्निशमन उपकरणों की कार्यशीलता के सम्बन्ध में–

कृपया उपरोक्त एवं आपके प्रार्थना पत्र के अनुसार वर्णित शैक्षिक भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों का अग्निशमन अधिकारी परतापुर मेरठ द्वारा निरीक्षण किया गया तो उनकी निरीक्षण आख्या 16–12–2021 का परीक्षण करने पर विवरण निम्नवत है–

1. प्रबन्धक/स्वामी द्वारा अपने शपथ पत्र दिनांक 22–11–2021 अंकित किया गया। कि प्रश्नगत शैक्षित भवन वर्ष 2009 से पूर्व भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल में निर्मित होकर शैक्षिक भवन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।
2. प्रश्नगत शैक्षिक भवन में 06 अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 05 किलो ग्राम के निरीक्षण के समय कार्यशील दशा में पाये गये।
3. प्रश्नगत शैक्षिक भवन में उपलब्ध प्रबन्धन स्टॉफ को अग्निशमन यंत्रों के संचालन की जानकारी दी गई।
4. निकास द्वार पर सांकेतिक चिन्ह अंकित हैं।
5. प्रब्रन्धक/स्वामी द्वारा अग्निशमन उपकरणों की टैस्टिंग फीस चालान संख्या 20147 दिनांक 22–11–2021 को रूपये 60/–राजकीय कोषागार में जमा कर दी गयी है।
6. समस्त स्थापित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना आवश्यक होगा।
7. समस्त स्थानित अग्निशमन उपकरणों को चिन्हित स्थानों पर लगायें रखने एवं सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आईएस–1646 के मानकों अनुरूप करते हुए विद्युत वायरिंग में एमसीवी/ईएलसीवी व पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्राविधान करने तथा प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0–2005 के मानकों के अनुरूप शेष अग्निशमन व्यवस्था वांछनीय होगी जिसका अनुपालन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा, इसमे किसी प्रकार की लापरवाही/अनियमिततायें पाये जाने पर निर्गत

पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

8. प्रत्येक वर्ष अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगे अग्निशमन उपकरणों का इस कार्यालय से निरीक्षण /परीक्षण कराकर उसकी निर्धारित फीस राजकीय कोषागार में जमा कराकर उनकी कार्यशीलता के सम्बन्ध में प्रयोज्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगें।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अयोजित याचिका संख्या 483/2004 अवनीश महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्यिा एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13-04-2009 का पालन करना अनिवार्य होगा। जिसमें निर्देशित किया गया है कि-

1-किसी भी स्कूलको मान्यता देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि स्कूल का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप में है।

2-समस्त राजकीय ओर निजी विद्यालयों में छः माह में अग्निशमन यंत्र स्थापित किये जायें।

3-विद्यालय के भवन में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ ना रखे जायें। और उन्हें रखना अति आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित ढंग से रखने का उपाय किया जाये।

4-समय समय पर विद्यालय के भवन की सुदृढ़ता की समीक्षा सुनिश्चित की जाये।

5-सम्बन्धित अधिकारी एवं अभियन्ता इस सम्बन्ध में नेशनल बिल्डिंग कोड का कडाई से पालन करे तथा सुरक्षा का प्रमाण पत्र केवल समुचित जांच के उपरान्त ही दिया जाये। तथा इस सम्बन्ध में दोषी पाये गये कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन उक्त वर्णित भवन में स्थापित अग्निशमन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों की कार्यशीलता का प्रयोज्यता प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिये प्रदान किया जाता है। इसे ढांचागत (संरचनात्मक) निर्माण का अनापत्ति प्रमाण पत्र समझा जाये।

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी,
मेरठ

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मेरठ

प्रतिलिपि- अग्निशमन अधिकारी परतापुर मेरठ को उनकी निरीक्षण आख्या दिनांक 16-12-2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु